राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

क्रमांकः–एफ1(1)(3)आप्रसआ/सामान्य I/2002/11243–56 दिनांकः 13.8.09

आदेश

पूर्व में दिनांक 06 सितम्बर, 2007 को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा अधिसूचित एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं:–

1. वित्त मंत्री	सदस्य
2. गृह मंत्री	सदस्य
3. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य
4. जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
6. कृषि एवं पशुपालन मंत्री	सदस्य
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
8. स्वायत शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य

उक्त प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव है तथा शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग इसके सदस्य सचिव है। राजस्व मंत्री, तथा सहकारिता मन्त्री, राजस्थान सरकार उक्त प्राधिकरण के विशेष आमंत्रित सदस्य होगें।

इस प्राधिकरण में मुख्य सचिव के अलावा आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारीगण भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकेंगे । यह प्राधिकरण राज्य के घोषित अभावग्रस्त जिलों में राहत गतिविधियों की समीक्षा एवं आवश्यक निर्देश देने का कार्य करेगी । इस प्राधिकरण की बैठक आवश्यकतानुसार राज्य में किसी भी स्थान पर हो सकेगी । इस प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय राहत गतिविधियों के लिये स्वीकृतियाँ मानी जाएँगी ।

13/8/09

शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता
विभाग

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

क्रमांकः– एफ1(1)(3)आप्रसआ/सा/2009 / 11204-18 दिनांकः 13-8-09

आदेश

आपदा प्रबन्धन की धारा 14 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक प.8(4)आ.प्र. एवं स.वि./आ.प्र./03/21141 दिनांक 15.10.07 द्वारा राज्य कार्यकारी समिति (स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी) का गठन किया जा चुका है। अतः घोषित अभावग्रस्त जिलों में अकाल राहत कार्यों की समीक्षा, प्रबन्धन एवं सुनियोजित क्रियान्वयन स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा की जायेगी । इसके सदस्य निम्नानुसार है :–

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं नीति निर्धारण	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, जलसंसाधन एवं जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	सदस्य सचिव

राहत कार्यों के प्रबन्धन प्रयोजनार्थ बुलाई गयी बैठक में उपरोक्त सदस्यों के अलावा निम्न सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे :–

क.. प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन एवं जल संसाधन विभाग
ख. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
ग. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
घ. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
ङ प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
च. आयुक्त, कृषि विभाग
छ. आयुक्त भू–संरक्षण विभाग
ज. प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड

<u>इस समिति द्वारा राहत कार्यों की समीक्षा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–</u>

1. श्रमिकों को समय पर कार्य निष्पादन के अनुपात में सही भुगतान ।
2 घोषित अभावग्रस्त जिलों की आवश्यकतानुसार श्रमिक सीमा का पुनर्निर्धारण ।
3 घोषित अभावग्रस्त जिलों में निष्पादित होने वाले राहत कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करवाना तथा समय समय पर चैकिंग की व्यवस्था करवाना ।
4 विभिन्न विभागीय कार्यों का राहत कार्यों के निष्पादन के दौरान यथासंभव डोवटेलिंग ।

(हस्ताक्षर) 13/8/09
शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

आपात 2

क्रमांक:– एफ1(1)(3)आप्रसआ/सा/2009 /11219-25 दिनांक: 13-8-09

आदेश

निर्देशानुसार राज्य में गर्मी एवं अभाव के कारण फैलने वाली बीमारियों पर नियन्त्रण रखने हेतु एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1.	अति0 मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य सचिव
3.	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	सदस्य

यह टास्क फोर्स मुख्य रूप से निम्न कार्य करेगी :–

1. श्रमिकों तथा उनके परिवारों के स्वास्थ्य की जॉच को सुनिश्चित करना
2. बच्चों में पोषाहार का वितरण ।
3. मौसमी बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना ।
4. गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित करना

इस टास्क फोर्स की बैठक हर पखवाडे की निश्चित दिनांक को या आवश्यकतानुसार होगी ।

(हस्ताक्षर) 13/8/09
शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता
विभाग

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

(हस्ताक्षर) 13/8/09
शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता
विभाग

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

ग्रामा-1

क्रमांकः एफ1(1)(3)आप्रसआ/सा/2009/11233-42 दिनांकः 13-8-09

आदेश

निर्देशानुसार संवत् 2066 में पेयजल उपलब्धता एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

1.	अति. मुख्य सचिव, मुख्यमन्त्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त एवं नीति निर्धारण	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, उर्जा एवं प्रमुख सचिव-मुख्य मंत्री	सदस्य
5.	शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य
6.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग	सदस्य
7.	आयुक्त, कृषि विभाग	सदस्य
8.	अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0	सदस्य
9	विशिष्ठ शासन सचिव, उर्जा तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राज. राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि0	सदस्य सचिव

यह टास्क फोर्स निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगी :-

1 राज्य में विद्युत उत्पादन और वितरण का आंकलन करना ।

2 विभिन्न शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

3 विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए पेयजल एवं कृषि कार्यो हेतु विद्युत उपलब्ध कराना ।

4 पयेजल व्यवस्था हेतु सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

5 प्रयुक्त होने वाली मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना ।

6 जल आपूर्ति हेतु तैयार की गई आपातकालीन योजना के समय पर लागू कराने में आने वाली कठिनाईयों/ गतिरोधो को दूर करना ।

7 जिलों में जल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा एवं तत्सम्बन्धी आवश्यक दिर्नेश मय वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना ।

8 हैण्डपम्प की मरम्मत व नये हैण्डपम्प की खुदायी तथा लम्बित रहे जलापूर्ति सम्बन्धी कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराना तथा उनसे उपलब्ध जल को काम में लाना ।

9 साप्ताहिक कार्य योजना निर्धारित करना तथा उसमें हुई प्रगति का रिव्यू व मानीटरिंग करना ।

10 पेयजल व्यवस्था से संबंधित अन्य सभी संबंधित कार्य।

इस टास्क फोर्स की बैठक हर पखवाडे की निश्चित दिनांक को या आवश्यकतानुसार होगी ।

13/8/09

शासन सचिव

आपदा प्रबन्धन व सहायता

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन व सहायता विभाग

क्रमांकः– एफ1(1)(3)आप्रसआ/सा/2009 आमा.I / 11226-32 दिनांकः 13-8-09

आदेश

निर्देशानुसार संवत् 2066 में चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय चारा व्यवस्था टास्क फोर्स का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि	अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन	सदस्य सचिव
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री	सदस्य
4. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	सदस्य

यह टास्क फोर्स चारे की व्यवस्था की समीक्षा कर निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगी :–

1. अन्य राज्यों एवं राजस्थान के जिलों में चारे की उपलब्धता के बारे में आंकलन करना ।
2. चारे की व्यवस्था के लिए योजना बनाना ।
3. चारे के अभाव व आवश्यकता का आंकलन कर पूर्ति हेतु निर्देश देना ।
4. समय समय पर चारे के मूल्यों की दरों की समीक्षा करना ।
5. समय पर भुगतान को सुनिश्चित करना तथा इस सम्बन्ध में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करना ।
6. गैर सरकारी/ स्वयं सेवी संगठनों से योगदान प्राप्त करने हेतु समुचित उपाय व प्रबन्ध करना ।

इस टास्क फोर्स की बैठक हर पखवाडे की निश्चित दिनांक को या आवश्कतानुसार होगी ।

13/8/09
शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
2. उप सचिव, मुख्य सचिव
3. उप सचिव(जे)मुख्य मंत्री सचिवालय
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि
5. नजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

13/8/09
शासन सचिव
आपदा प्रबन्धन व सहायता